रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258050
CG-DL-E-18102024-258050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4203] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946
No. 4203] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4569(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, साइकिल- रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

(1) इस आदेश को साइकिल- रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. साइकिल- रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैराग्राफ 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थत:-

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात के लिए भारत में साइकिलों के विनिर्माण के लिए विनिर्माता द्वारा आयातित *सामानों या वस्तुओं* पर लागू नहीं होगा जो इस शर्त के अधीन है कि विनिर्माता केन्द्र सरकार को इस संबंध में अपने लेटर-हेड पर अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें आयात खेप की

इनवॉइस संख्या और अन्य संगत ब्यौरे का उल्लेख होगा और यह वचनबद्धता होगी कि इस प्रकार आयातित *सामानों या वस्तुओं* को किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा या घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाएगा और विनिर्माता संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन या लेखा-परीक्षा के लिए ऐसे आयातित *सामानों या वस्तुओं* तथा अपने उत्पाद का रिकार्ड रखेगा:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी साइकिल अथवा साइकिल रिफ्लेक्टर के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष आयातित दो सौ *सामानों या वस्तुओं* पर लागू नहीं होगा जो *इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया* जा सकता है तथा *विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे* और उसे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर **प्रस्तुत करेंगे**।"

[फा. सं. पी-29014/3/2018-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सां.आ. 882 (अ) दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 2024

S.O. 4569(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2023, namely:-

(1) This order may be called the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bicycles-Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 2, the following provisos shall be inserted, namely:-

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles imported by a manufacturer for manufacturing bicycles in India for export subject to the condition that the manufacturer furnishes a self-declaration in this regard in its letter-head signed by its authorized signatory to the Central Government mentioning the invoice number and other relevant details of the import consignment and an undertaking that the goods or articles so imported shall not be put to any other use or sold in the domestic market and the manufacturer shall maintain the record of such goods and articles imported and its product for verification or audit by the Government authorities concerned:

Provided further that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of bicycles or bicycle reflectors per year subject to the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities.

[F. No P-29014/3/2018-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 882 (E), dated the 24th February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.18 21:28:50 +05'30'